

28. क्या स्थल, जहाँ अंतर्दलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में किए गए निरीक्षण और संश्लेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की रिपोर्टों से सहमत है।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट रिपोर्टों

स्थान: तारीख: हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

"प्राकृप ग"

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी देने वाला प्राकृप।
खनन / चुनान हेतु आवेदन
भाग-1

(प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भरा जाए) :- लागू नहीं

1. परियोजना के ब्यौरे :- संजालाकोटी-भैरवाव-गुड्डहा मोटर मार्ग का तिलखोली-जबोड़ी तक विस्तार।

(i) प्रयोक्ता अधिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे:- निर्माण खण्ड, लोडिंगविडो पौड़ी, फोन नं० 01368-222284

(ii) प्रयोक्ता अधिकरण की विधिक प्राप्ति

(iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता

(iv) प्रयोक्ता अधिकरण के निमित्त आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नहीं)

(v) खोली जाने वाली खनिज वस्तु

(vi) दोनों वन और रैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

(vii) प्रयोक्ता अधिकरण के पक्ष में पूर्वक्षण अनुज्ञाति की मंजूरी के लिये संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे

(viii) पूर्वक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और रैर वन भूमि के ब्यौरे

(ix) पूर्वक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :

(क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(x) कुल अवशिष्ट जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है:

(xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत :

(xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रारिथि के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोगित वन भूमि का ब्यौरा :

(xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वक्षणा की चालू प्रारिथि के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षणा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

(i) पूर्वक्षणा ब्याक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण, पूर्वक्षणा ब्याक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा, प्रत्येक नमूने प्लॉट की अवस्थितियाँ छेदन उपकरणों के परिवर्तन के लिए उपयोगित होने वाले क्षेत्रों के ब्यौरे (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगाने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षणा आदि में परिवर्तन की गई भूमि की सीमा से (10 किमी²) की दूरी पर

अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थित क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियाँ सार्वजनिक काय

क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वक्षणा क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक क्षेत्र-छिन्न नमूने प्लॉट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में बढ़ी दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वक्षणा के लिए न्यायोचितता :

(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :

(iii) और आकामक पूर्वक्षणा क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो

4. अनुसंधित क्षेत्रों में पूर्वक्षणा के लिए परिवर्तन की गई वन भूमि अवस्थित है (हां/नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) सतह नमूने

(क) ग्राह प्रविचयन

(ख) विषय प्रविचयन

(ग) खाद्या प्रविचयन

(घ) वैनल प्रविचयन

(ङ) प्रयुज प्रविचयन

(च) पवित्र अंतरालन नमूने सहित भू रसायन विश्लेषण प्रविचयन

(ii) गड्ढा या खाई बनाना

(क) गड्ढों या खाइयों की संख्या और ब्यास

(ख) उत्खनन की कुल मात्रा

(ग) गड्ढों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) वृक्ष

(क) क्षेत्रों में फिरो या कुओं की संख्या और ब्यास

(ख) वृक्ष छिद्र या कृत्रिम का आंतरालन

(ग) प्रत्येक विषादि पर कृत्रिम रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र

(घ) प्रत्येक विषादि या कृत्रिम रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है

(ङ) वृक्ष छिद्रों या कृत्रिमों का मापन

(च) वृक्ष कोर नमूनों की संख्या

(छ) वृक्ष कोर नमूनों की संख्या

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण

(क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई

(ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :

(ii) गड्ढा या खाई बनाना :

(iii) वृक्षन :

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कृत्त :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :

(ii) गड्ढा या खाई बनाना :

(iii) वृक्षन :

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कृत्त :

8. पूर्वक्षेत्र के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपकरणों के खोरे-

क्रम सं०	उपकरण या मशीनरी का नाम	कक्ष का ढंग	आकार (एल X ब्री X एच)	प्रारंभिक विनियोजन (मशीनी घंटे)	अधिकतम शीत स्तर (डिग्रीसेल्स)

9. वन भूमि में उपकरण या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का

खोरा :

10. पूर्वक्षेत्र के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित खोराओं की वन भूमि में रोकने की लगभग संख्या और लगभग

अवधि।

11. पूर्वक्षेत्र के दौरान संश्लेषित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपकरण और अन्य नमूनों की प्रारंभिक मात्रा का संक्षेप

(जलीय कार्बन स्रोत के लिए लागू नहीं)

तारीख: _____
स्थान: _____

15. संलग्न वस्तुवाच्यों के ब्यौरे-

- (अ) अभी तक किए गए पूर्वक्षणा क्रियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे।
(iv) पूर्वक्षणा के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायविचिता।
(घपप) उल्लेखन (नी), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।
(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रस्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)

क्रम	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वक्षणा (एव ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमाम्य अवधि
सं०			
क	से		

(i) पूर्ण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

कृपया निम्नलिखित आतिरिक्त जानकारी दें :-

14. यदि पूर्वक्षणा या आतिरिक्त वेष छिदों के वेषन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है,

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	(10%)	(20%)	(30%)	(40%)	(50%)
शुद्धता					
स्तर (%)					

शुद्धता और आवश्यक स्तर:

13. यदि वेष किए जाने के लिए प्रस्तावित वेषन छिदों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राकृतिक

12. खनिज आरक्षण निष्पत्ति के लिए प्राकृतिक शुद्धता और आवश्यक स्तर:

क्र० सं०	नमूनों के ब्यौरे	संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (मीट्रिक टन)

हस्ताक्षर _____
(एक अक्षरों में नाम)
पदनाम _____
पता (प्रत्यक्ष अधिकरण का) _____
- प्रस्ताव की राज्य कर्मिक सं० _____
(प्रति की तारीख सहित नोटल अधिकारी द्वारा भरा जाए)